

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20

1-1-22 ले 31.12.2022

1. अधिकारीकर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

प्रियोगल मुख्यमंत्री

अगली बेतवृद्धि की तारीख

3. बर्तमान बेतन

.....

.....

.....

1.7.2023

.....

उस नियोग संभाग, तालुका

तथा ग्राम का नाम, जिसमें
सम्पत्ति स्थित हो

सम्पत्ति का नाम तथा व्यापे

ग्रह तथा अन्य भवन
भूमि

**बर्तमान मूल्य

शासकीय कर्मचारी से
का संबंध है

तथा व्यापे

वार्षिक आय

अधिग्रहित

यदि स्वयं के नाम पर न हो तो

बतलाइये कि वह किसके नाम

तथा अर्जन की तारीख और विस्ते

उसे किस प्रकार अर्जित किया गया

***खरीद, पट्टा, बेखक, विरासत,

भेट या अन्य किसी प्रकार से

सम्पत्ति से

पर भारित है और उसका

शासकीय कर्मचारी से

का संबंध है

तथा व्यापे

वार्षिक आय

अर्जित की गई हो उसका नाम

तथा व्यापे

वार्षिक आय

अर्जित की गई हो उसका नाम

प्रियोगल मुख्यमंत्री

जहां लागू न हो काट दीजिए।

एसे मानते में जहां मूल्य का सही-सही निधारण करना संभव न हो, वहां बर्तमान विधिति के सन्दर्भ में लागभाग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी समीक्षित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचार्य) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम अंशों, द्वितीय श्रेणी तथा तीसी श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह

अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीन की अवधि के प्रत्याप-पत्र भर कर प्रस्तुत करे और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अंगेंत अधिकार उसके विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यापे दे।

शाकेमुझे—926—अप्रसारी—22-10-09—15,000.

जहां लागू न हो काट दीजिए।

एसे मानते में जहां मूल्य का सही-सही निधारण करना संभव न हो, वहां बर्तमान विधिति के सन्दर्भ में लागभाग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी समीक्षित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचार्य) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम अंशों, द्वितीय श्रेणी तथा तीसी श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह

अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीन की अवधि के प्रत्याप-पत्र भर कर प्रस्तुत करे और

उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अंगेंत अधिकार उसके विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यापे दे।

शाकेमुझे—926—अप्रसारी—22-10-09—15,000.

जहां लागू न हो काट दीजिए।

एसे मानते में जहां मूल्य का सही-सही निधारण करना संभव न हो, वहां बर्तमान विधिति के सन्दर्भ में लागभाग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी समीक्षित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचार्य) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम अंशों, द्वितीय श्रेणी तथा तीसी श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह

अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीन की अवधि के प्रत्याप-पत्र भर कर प्रस्तुत करे और

उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अंगेंत अधिकार उसके विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यापे दे।

शाकेमुझे—926—अप्रसारी—22-10-09—15,000.

फार्म

***प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20 फेब्रुअरी 1-1-2022 तक 31-12-2022**

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

लोकेश शर्मा

आगामी बेतवृद्धि की तारीख

१.७.२०२३

3. वर्तमान वेतन **१८४००/-**..... अगली बेतवृद्धि की तारीख

१८४००/-..... अगली बेतवृद्धि की तारीख

.....

उस जिले/उप संभाग, तालुका
तथा ग्राम का नाम, जिसमें
सम्पत्ति स्थित हो

उस जिले/उप संभाग, तालुका
तथा ग्राम का नाम, जिसमें
सम्पत्ति स्थित हो

गृह तथा अन्य भवन

भूमि

**वर्तमान मूल्य

वार्षिक आय

आधिकृत

जिसमें वह उसके स्वामित्व को अन्य किसी सेवा के समय और उसके बाहर प्रत्येक वारह नहीं की अवधि के प्रस्ताव-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और

पद **प्राप्ति नियुक्ति**

.....

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

यदि स्वयं के नाम पर न हो तो
बतलाइये कि वह किसके नाम
पर धारित है और उसका
शासकीय कर्मचारी से
क्या संबंध है

उसे किस प्रकार अर्जित किया गया
***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत,
भेट या अन्य किसी प्रकार से
तथा अर्जन की तारीख और जिससे
अर्जित की गई हो उसका नाम

तथा व्यापार

उसे किस प्रकार अर्जित किया गया
***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत,
भेट या अन्य किसी प्रकार से
तथा अर्जन की तारीख और जिससे
अर्जित की गई हो उसका नाम

तथा व्यापार

उसे किस प्रकार अर्जित किया गया
***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत,
भेट या अन्य किसी प्रकार से
तथा अर्जन की तारीख और जिससे
अर्जित की गई हो उसका नाम

तथा व्यापार

उसे किस प्रकार अर्जित किया गया
***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत,
भेट या अन्य किसी प्रकार से
तथा अर्जन की तारीख और जिससे
अर्जित की गई हो उसका नाम

तथा व्यापार

जहाँ लाग न हो काट दीजिए।
एसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करता सभव न हो, वहाँ चर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
इसमें अंत्यकालीन पट्टे भी समालित हैं।

टिप्पणी : नियम 18(3) के अधीन प्रथम अपेक्षा, द्वितीय प्रेणी तथा तीतीय प्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली तितीय की अवधि के प्रस्ताव-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के व्यापार

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अवल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2022

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो—रमेश चाहा

3. वर्तमान वेतन 64,600. + HRA... आगली वेतनबद्दि की तारीख नंगलाई, 2023

2. वर्तमान धारित पद सहनीयाधीक्ष

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|--|--|--|--|---|---|-----------------|
| 1. <u>नवायुरा काला</u> <u>रोड, झोपाल</u> | <u>मूल</u> <u>१७x२०</u> <u>(लैंडफुट)</u> | <u>श्रमन</u> <u>२५x५०</u> <u>(लैंडफुट)</u> | <u>श्रमनीय</u> <u>ग्राम भाड़</u> <u>झुमाड़</u> | <u>चार्ट स्वामी के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर भारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से का संबंध है</u> | <u>उसे किस प्रकार अर्जित किया गया बतलाइये कि वह किसी प्रकार से तथा अर्जन की तरीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा</u> | <u>सम्पत्ति से मेट या अन्य किसी प्रकार से अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा</u> | <u>अभियुक्त</u> |

* जहाँ लाए त हो काट दीजिए।
** ऐसे यामते ने जहाँ मूल्य का सही-सही निधारण करता संभव न हो, वहाँ बर्तमान स्थिति के सद्वधं में लागभा मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पर्दे भी समिलित है।
टिप्पणी: यद्यपि दो शासकीय सेवक (आजारण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रथम वार्ष महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह जनक स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अंगित अथवा उस सेवक में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके पालिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पढ़ते या बोंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के बारे दे।

राकेशगुप्ती—926—असामग्रि—22-10-09—15,000.

विभाग रामेश चाहा में उद्दीपन तथा नियुक्ति सम्बन्धी
मालिक झोपाल।

卷之三

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20

1-1-22 (1) 31.12.2022 09

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **श्रीमान् दिलीप कुमार**
2. वर्तमान बैतन अगली बैतन तक की तरीफ **विशेषज्ञ धारित पद**

سیاهی

| उस जिले/उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पति स्थित हो | | सम्पति का नाम तथा व्यौरे | | यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है | | उसे किस प्रकार अर्जित किया गया और किसके द्वारा अन्य किसी प्रकार से भेट या अन्य किसी प्रकार से अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा | | अभियुक्त | |
|---|-----|--------------------------|-----|---|-----|---|-----|----------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | | |
| | | | | | | | | | |

* जहा लाहू न हो काट दीजिए।
** ऐसे मामले में जहा मूल्य का सही-सही निधरण करना सम्भव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बताताया जाए।
*** इसमें अत्यन्त कालीन परदे भी सीमित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासनीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अनुमति है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के प्रत्यावर यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करे और उसमें वह उनके स्थानित की तथा उसके द्वारा अंजित अथवा उसे विरासत में मिला या उसके अन्ते नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के व्याप्रि है।

शाकेमुझो—१२६—अससाप्रति—२२-१०-०९—१५,०००.

卷之三

विभाग

हस्ताक्षर

पद
वायु गति

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अबल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20 १५७८८ २०२२ ते ३) जिल्हा २०२२

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **झाँसी बन्दं नियुक्ति २४१** 2. चर्तमान धारित पद

3. चर्तमान वेतन आगली वेतनवृद्धि की तारीख **१-७-२३**

| उस जिले/उम संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो | सम्पत्ति का नाम तथा व्यौरे | | पदि स्वर्ण के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर भारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है | उसे किस प्रकार अर्जित किया गया तथा अर्जीन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा | सम्पत्ति से वारिक आय | अधिकृत | |
|---|----------------------------|-----|---|---|---------------------------------|--------|-----|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| १-७ झुय पड़िया बिलभट्ट तिलु नामा, नीलत | झुलेहट | - | ५० लाड | एक लाड के नाम तारीख २००३ | एक लाड के ८८८ लाड तारीख २००३ | NIC | |
| २०६. हेवन्द लाल्हु झुलेहट नामा नीलत | झुलेहट | - | ५० लाड | एक लाड के ८८८ लाड तारीख २००३ | एक लाड के ८८८ लाड तारीख २००३ | NIC | |

* जहां लाग न हो काट दीजिए।
** ऐसे मानते में जहां मूल्य का सही-सही निधारण करता संभव न हो, वहां चर्तमान स्थिति के सद्वर्ष में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पसालीन पट्टे भी समिलित हैं।
टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचारण) नियम, १९५९ के नियम १८(३) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बारे में विवरण भरी कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उसके स्थान की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसके विवरण में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके पारिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बोधक पर उसके द्वारा घारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दे।

फार्म

1-1-2022 से 31-12-2022

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पुरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **अधिकारी सरकारी कृष्णालंगन**.....

3. वर्तमान वेतन **₹ ५२६००/-** अगली वेतनवृद्धि की तारीख **1.-७.-२०२३**....

| उस जिले/उम्म संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो | सम्पत्ति का नाम तथा व्यौरे | | यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बताइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है | उसे किस प्रकार अर्जित किया गया पेट को अन्य किसी प्रकार से अर्जित की गई हो उसका नाम | उसे किस प्रकार अर्जित किया गया पेट को अन्य किसी प्रकार से वार्षिक आय | अभियुक्त | | | | | |
|---|----------------------------|------|---|--|--|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | गृह तथा अन्य भवन | भूमि | *वर्तमान मूल्य | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| जहाँ लाए न हो काट दीजिए। ऐसे ग्रामते में जहाँ मूल्य का काही-साही निधरण करता संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सदृश में लगभग मूल्य बतलाया जाए। इसमें अल्पकालीन परदे भी समिलित हैं। | | | ५२६०० | | | | | | | | |

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचारण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के प्रस्ताव यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करे और उसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अधिकारी जैसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके द्वारा घातित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यारे दे।

कानूनी - १२६ - असामी - २२ - १० - ०९ - १५,०००.

विभाग **मध्यप्रदेश कृष्णालंगन लोकन्यामी**
पुरुष नामाल

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अवल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20

111222 03/12/2022

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

अगली बेतनबृद्धि की तारीख
५५८००+१५५
५५८००+१५५

2. वर्तमान धारित पद

अभियंता

3. वर्तमान बेतन ५५८००+१५५

| उस जिले/उप संभाग, जिसमें वह हो तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो | सम्पत्ति का नाम तथा व्यौरे | | यदि स्वामं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है | उसे किस प्रकार अर्जित किया गया तथा अर्जीन की तरीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम | सम्पत्ति से लाभिक आय | अभियुक्त |
|---|----------------------------|------|---|---|------------------------|------------------------|
| | ग्रह तथा अन्य भवन | भूमि | | | | |
| प्राल (प्राल) (प्राल) | ग्रह भवन भवन | — | विभागीय श्रमिक कार्यालय विभागीय श्रमिक कार्यालय | ५५८००+१५५ ५५८००+१५५ | ५५८००+१५५ ५५८००+१५५ | ५५८००+१५५ ५५८००+१५५ |

* जहां लाग न हो काट दीजिए।
** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सामालत है।
टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचारण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम विभागीय श्रमी तथा तीव्र श्रमी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक चारों महीनों की अवधि के प्रश्नात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अंगित अन्वयित अन्वय के नाम पर पट्टे या बैधक पर उसके द्वारा भारित समस्त अचल समाति के ब्यौरे दे।

फार्म

*पूर्थम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2022

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो

उमेश खड्ग

2. वर्तमान धारित पद

विद्युत विभाग

3. वर्तमान वेतन

51,500/-

आगली वेतनवृद्धि की तारीख 01.07.2023

| उस जिले/नगर संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो | सम्पत्ति का नाम तथा व्याप्रे | | यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलावमें कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है | उसे किस प्रकार अर्जित किया गया था भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्याप्रा | सम्पत्ति से वापिक आय | अधियुक्त | | | | |
|---|------------------------------|------|---|--|----------------------|----------|-----|-----|-----|-----|
| | ग्रह तथा अन्य भवन | भूमि | *वर्तमान मूल्य | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| * जहां लागू न हो काट दीजए। ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निधारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए। *** इसमें अल्पकालीन पददे भी समीक्षित है। | | | | | | | | | | |

टिप्पणी : नियम 18(3) के अधीन प्रथम संघीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्त के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अनावधि के प्रत्यावर्त यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अंगेत अथवा उसे विरासत में मिली या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पढ़े या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अंचल सम्पत्ति के ब्याएँ।

शाकेश्वरी—१२६—असमाप्ति—२२-१०-०९—१५,०००.

हस्ताक्षर 15-2+2023
नाम उमेश खड्ग
पद विद्युत विभाग
विभाग विद्युत विभाग, स० ५० २०२३

कार्य

*प्रथम नियुक्ति के समय अवल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2025

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो— श्री आत्मा भट्टा

3. वर्तमान वेतन रु. ५५००/-pm आली वेतनवृद्धि की तारीख— १०.७.२३

2. वर्तमान धारित पद अधिकारी— ३

| उस जिले/उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें वह हो सम्पत्ति की स्थित हो | सम्पत्ति का नाम तथा व्यौरे | | यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर भारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है | उसे किस प्रकार अर्जित किया गया थे? यदि या अन्य किसी प्रकार से अर्जित की गई हो उसका नाम | सम्पत्ति से वापिक आय | अधिग्रहित | |
|--|----------------------------|--------|--|--|----------------------|-----------|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| जोधपुर ज़िला | जोधपुर | जोधपुर | जोधपुर | जोधपुर | जोधपुर | जोधपुर | जोधपुर |

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
** ऐसे मानले में जहाँ मूल्य का सही-सही निधरण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान विधिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
*** इसमें अत्यन्तकालीन पट्टन भी सामिलित है।

टिप्पणी : नियमप्रदेश शासकीय सेवक (आचारण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम नियम, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अर्गेश्वर है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि को पश्चात् वह व्यापार-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें चाह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसके विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्याकृत के नाम पर पट्टन या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे हैं।

५४८

*पूर्थम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20¹ इडाए 1.1.2022 से 31-12-2022 तक

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो ~~स्थानीता दोस्तानी~~, लिपि पक्ष ~~वर्णनात्मक~~
2. वर्तमान धारित पद ~~अधिकारी~~ ~~कर्मचारी~~ ~~कर्मचारी~~ ~~कर्मचारी~~

3. वर्तमान बेतन . ५,१,०५०/- अगली बेतनवृद्धि की तारीख . ०८.०७.२०२३

| उस जिले/उप संभाग, तारीख तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पति स्थित हो | | सम्पति का नाम तथा व्यौरे | | यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बताइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है | | उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **"खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा | | सम्पति से चार्षिक आय आमदानी | |
|--|--|--------------------------|-----------|---|---------------------------|---|-----|-----------------------------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | | |
| लोगाल | अक्षय बै. 269 गाँवी खाड़ी बांडा सुवाहिया त्रिपुरील दुर्घट जिला ग्रामीण | 26,09,000 | 26,09,000 | 25,00,000 25-07-2018 पंक लोन, मी. डी. एस में अक्षय बै. 2-20 बद्रत राष्ट्रा ए | 16,00,000 अनुमति दी गई | | | | |

हस्ताक्षर

ग्रन्थालय

ପଦ ... ଅକ୍ଷାମ୍ବଳେ ... ଶୁଣାଲା

विभाग अधिकारी का नाम

पार्श्व

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2020

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो श्रीराजभट्टा-चौधरी

3. वर्तमान वेतन 44,800/- अमाली वेतनवृद्धि की तारीख 31-07-2023

राजस्थान विभाग उत्तराखण्ड उत्तराखण्ड

उस जिले/न्यू संभाग, तालुका
तथा ग्राम का नाम, जिसमें

सम्पत्ति स्थित हो

यदि स्वयं के नाम पर न हो तो
बतलाइये कि वह किसके नाम
पर धारित है और उसका

शासकीय कार्यालय से

क्या संबंध है

तथा अर्जन की तारीख और जिससे

अर्जित की गई हो उसका नाम

सम्पत्ति से

वापिक आय

अधिगुक्ति

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

७०२५

* जहाँ लागा न हो काट दीजिए।
** ऐसे मानते हैं जहाँ मूल्य का संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
*** इसमें अल्पकालीन पद्दति भी सम्मिलित है।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचारण) नियम 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी तथा दूसरी श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक चारह महीने की अवधि के प्रश्नात् यह घोषणा-पत्र पर प्रस्तुत करे और उसमें वह उपर्युक्त की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पढ़े या बंधक पर उसके द्वारा धरित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दे।

राजकुमारी—१२६—असामप्रदि—२२-१०-०९—१५,०००.

इस्तावकर श्रीराजभट्टा-चौधरी
नाम श्रीराजभट्टा-चौधरी
पद स्टाटस्युट-डिप्टी-प्रॉफेसर
विभाग क्रियान्वयन विभाग तथा वैदेयन सामग्री
मार्गदर्शक अधिकारी

卷之三

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो १९७५० ०३०४२ १५५४ २. वर्तमान धारित पद
3. वर्तमान बेतान ५.३.८०९. + P.A. आली बेतनवृद्धि की तारीख १.१.७. / २०.२.३ ..

| | | | | | | | |
|---|--------------------------|------------------|------|----------------|---|---|----------|
| | | | | | | | |
| उस जिले/उप-संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पति स्थित हो | सम्पति का नाम तथा ब्यौरे | गृह तथा अन्य भवन | भूमि | *वर्तमान मूल्य | यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बातलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है | उसे किस प्रकार अंजित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विपासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अंजन की तारीख और जिससे अंजित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा | अभियुक्त |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| गोपाल | माला | गोपा | गोपा | गोपा | गोपा | गोपा | गोपा |
| | | | | | | | |

*** ऐसे मानले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ बत्तमाल इथिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बताया जाए। *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश राजसभीय सेवक (आचारण) नियम 1959 के नियम 18(३) के अधीन प्रथम लिंग, द्वितीय लिंगी तथा तीतीय लिंगी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्यक्ष बाहर हमेही की अवधि के प्रशास्त्र यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करे और उसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अनित अथवा उसे विराजित में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर प्रदर्शन कराया जायते तथा प्रतित समस्त अन्तर्गत मामलियों के बारे में हो।

राकेमुभौ—१२६—अस्साप्रवि—२२-१०-०९—१५,०००.

ହୃଦୟାକ୍ଷର
ନମ । ଶ୍ରୀଜ୍ୟୋତି କୁମାର । ପିଲାଗ୍ରାମ
ପଦ । ପ୍ରମାଣିତ । ପରମାଣୁ ।

May 26, 1945

फार्म

***प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०२२**

१. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो पंडित नाना सिंह । २. वर्तमान धारित पद संप्रबंध विभाग ।

३. वर्तमान वेतन ₹. ५५,१००/- per month. अगली वेतनवृद्धि की तारीख

Allowance

(से बानियाँ दिनांक २८-०२-२०२३)

| सम्पत्ति का नाम तथा व्यौरे | गृह तथा अन्य भवन | भूमि | * वर्तमान मूल्य यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाये कि वह किसके नाम पर खाति है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है | यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाये कि वह किसके नाम पर खाति है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है | | | | |
|--|------------------|----------|---|--|------------------|-------------------|-----------|-------------------|
| | | | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| <u>पं. नं. २०४ वडा १० फ़िर पार्क कलानी</u> | <u>भवन</u> | <u>—</u> | <u>— ₹. १५,००,०००/-</u> | <u>संपूर्ण के नाम</u> | <u>६.०८ एकड़</u> | <u>लोन लेन्डर</u> | <u>५६</u> | <u>तथा व्यौरे</u> |
| | | | <u>(Mr. Fifteen Lac.) only</u> | | | | | |

* जहाँ लाग न हो काट दीजए।
** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निधारण करना सभव न हो, वहाँ बत्तीमान स्थिति के सदर्भ में लागभग मूल्य बतलाया जाए।
*** इसमें अल्पकालीन पटटे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, १९५९ के नियम १८(३) के अधीन प्रथम विधि, द्वितीय विधि सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक वर्ष भव कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अंजित अधिकारी उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पटटे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के व्यौरे हों।

आकेमुखी—९२६—असप्रविदि—२२-१०-०९—१५,०००.

को. नं. ७२२९४५४०

विभाग पुरुष अधिकारी अधिकारी

हस्ताक्षर पंडित नाना सिंह

नाम पंडित नाना सिंह

पद संप्रबंध विभाग

४१८

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सर्पनि का विवरण, वर्ष २० । - । . २२ । ३।।१२।२०२२

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हों

२. वर्तमान धारित पद

~~1900/4~~ 1904

بہب: تیرک

3. वर्तमान बैतन 39.500/-, अगली बैतनवृद्धि की तारीख 1.7.2023

| उप जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पति स्थित हो | | सम्पति का नाम तथा व्यौरे | | यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बालाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है | | उसे किस प्रकार अंजित किया गया था खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अंजित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा | | अभियुक्त सम्पति से वार्षिक आय | |
|--|----------------------------|--------------------------|--|---|----------------------|---|-----|-------------------------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | | |
| उप जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पति स्थित हो | ग्राह तथा अन्य भवन भूमि | *वर्तमान मूल्य | यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बालाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है | उसे किस प्रकार अंजित किया गया था खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अंजित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा | सम्पति से वार्षिक आय | अभियुक्त | | | |

जहाँ लाएँ न हो काट दीजिए।
एसे मात्रते में जहाँ पूर्ण का सही-सही निधारण करना संभव न हो, वहाँ बतमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी समिलित हैं।
भव्यप्रदर्श शासकीय सेवक (आचारण) नियम 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के उसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अंजित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यारे दें।

शाकेमुम्भी—१२६—अस्साप्रवि—२२-१०-०९—१५,०००-

प्रदानकर्ता २०२२ दि २१ फ़रवरी २०२२

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

१. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो - शास्त्राधार्य-तंडिल 2. बर्तमान धारित पद - शास्त्राधार्य-तंडिल

३. बर्तमान वेतन ३६२५०/-..... आली वेतनवृद्धि की तारीख ०१/०५/१९७३.....

| सम्पत्ति का नाम तथा व्यौरे | गृह तथा अन्य भवन | भूमि | *बर्तमान मूल्य | चाहि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है | उसे किस प्रकार अंजित किया गया था एवं या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तरीख और जिससे अंजित की गई हो उसका नाम | सम्पत्ति से वार्षिक आय | अधिपुक्ति |
|-------------------------------|------------------|------|----------------|---|--|------------------------|-----------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| श्रीमाधन गर्व अलंकार तंडिल | मकान ८५८. | | २५००,०००/- | स्वयं तंडिल लाल घर | श्रीमाधन गर्व स्वतंत्र नियुक्ति कर्तुं मृद्ग | ५०० | |

* जहां लागू न हो काट दीजिए।
** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां बर्तमान स्थिति के सदृश में लाभग्रा मूल्य बताया जाए।
*** इसमें अल्पकालीन पट्टने भी समीक्षित है।

टिप्पणी : मध्यसंदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, १९५९ के नियम १४(३) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीनों की अवधि के प्रश्नात यह खोपणा-गत भार कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके रक्षान्तर की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसके द्वारा विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बैधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

1-1-2022 तक 31-12-2022 तक

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो ।विलाप दंडवा

3. वर्तमान वेतन 36200..... अगली बेतनवृद्धि की तारीख जुलाई 2023

2. वर्तमान धारित यदि 2022

| सम्पत्ति का नाम तथा व्याप्रे | उस जिले, उप-संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित है | गृह तथा अन्य भवन | भूमि | **वर्तमान मूल्य | यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है | उसे किस प्रकार अर्जित किया गया था खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्याप्र | सम्पत्ति से वार्षिक आय | अधियुक्ति |
|------------------------------|--|------------------|------|-----------------|--|--|------------------------|-----------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |

विलाप

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निधरण करना संभव न हो, वहाँ बोमान रिस्ति के सदर्ध में लाभग मूल्य बतलाया जाए।
*** इसमें अल्पकलीन पट्टे भी समिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के प्रस्ताव यह घोषणा-पत्र पर कर प्रस्तुत करे और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके बारा अविहित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के व्याप्र है।

शाकमुखी—926—असाप्रदि—22-10-09—15,000.

हस्ताक्षर
नाम विलाप दंडवा

पद विलाप दंडवा

विभागीय मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया अधिकारी

मा. पृ. ५०, मुम्पाल

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20 22

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

राधा कृष्णन

2. वर्तमान थारित पद

मैनेजर

3. वर्तमान बैतन ₹ 2,60,000/- आगली बेतनवृद्धि की तारीख 15/07/2023

| उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो | सम्पत्ति का नाम तथा व्याप्रे | | | यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका सासकीय कमचारी से क्या संबंध है | उसे किस प्रकार अद्वित दिया गया भर्तमान मूल्य पर धारित है और उसका तथा अज्ञन की तारीख और जिससे अद्वित की गई हो उसका नाम तथा व्याप्रे | सम्पत्ति से वापरिक आय | अधियुक्त |
|--|------------------------------|------|----------------|--|--|-----------------------|----------|
| | गृह तथा अन्य भवन | भूमि | *वर्तमान मूल्य | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे भाग जैसे जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान विधि के सन्दर्भ में लागभग मूल्य बतलावा जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : नध्यादेश शासकीय सेवक (आजारण) नियम, 1959 के तियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक चारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा-पत्र पर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्थानित की तथा उसके द्वारा अंजित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके पारिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के व्याप्रे दे।

शाकेम्बो—767—अस्साप्रब्ल—18-1-13-20,000.

हस्ताक्षर

नाम राधा कृष्णन

पद मैनेजर

विभाग मौजूदा

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अखल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो।

2. बर्तीन भारत पद

3. बर्तीन वेतन 34,800/- आली वेतनबृद्धि की तारीख 2/8/2023.....

1/1/2022 त्र 21/12/2022

| उस जिले/उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो | सम्पत्ति का नाम तथा व्यौरे | गृह तथा अन्य भवन | भूमि | *बर्तीन मूल्य | चादि स्वर्ण के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है | उसे किस प्रकार अद्वित लिया गया भैट या अन्य किसी प्रकार से तथा अजीन की तारीख और जिससे अद्वित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा | सम्पत्ति से वार्षिक आय | अधिग्रहित |
|--|----------------------------|------------------|------|---------------|--|--|------------------------|-----------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
| जहां लाग न हो काट दीजिए। ऐसे यानले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना सम्भव न हो, वहां बर्तीन रिस्तों के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए। इसमें अल्पकालीन पद्दति भी समिलता है। टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक चारह महीने की अवधि के प्रश्नात यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अंगित अधिकार उसे विराजत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पढ़ाया जाए। अन्य समस्त अन्य सम्पत्ति के ब्यौरे दें। | बर्तीन विहार | — | — | 34,800/- | लोक लान छत | लोक लान छत | — | — |

जहां लाग न हो काट दीजिए।
ऐसे यानले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना सम्भव न हो, वहां बर्तीन रिस्तों के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
इसमें अल्पकालीन पद्दति भी समिलता है।
टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक चारह महीने की अवधि के प्रश्नात यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अंगित अधिकार उसे विराजत में मिली या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पढ़ाया जाए। अन्य समस्त अन्य सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

शाकेश्वरी-926-असाप्रवि-22-10-09-15,000.

विभाग अधिकारी द्वारा लिखने वाला

फार्म

*पृथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2022 - 31-12-2022 - ३१-१२-२२

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो ... NIKESH TAMAR

3. वर्तमान वेतन ... ₹२१०० आगली बेतनवृद्धि की तारीख ... ११.१२.२०२३

| उस जिले, नगर संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो | सम्पत्ति का नाम तथा व्यौरे | | यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बताइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है | उसे किस प्रकार अद्वितीय किया गया भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अजित की तारीख और जिससे अद्वितीय हो उसका नाम तथा व्यौरा | सम्पत्ति से वार्षिक आय | | अधियुक्त | | | | | |
|--|----------------------------|------|---|--|------------------------|-----|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | गृह तथा अन्य भवन | भूमि | * वर्तमान मूल्य | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| • जहां लागू न हो काट दीजिए। • ऐसे गान्डे में जहां मूल्य का सही-सही निधरण करता संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाए। *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी समिलित हैं। | | | | | | | | | | | | |

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी तथा दूसरी श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक चारह महीनों की अवधि के पश्चात वह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करे और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अद्वितीय कर्मचारी की तथा उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बधक पर उसके द्वारा घारित समस्त अचल सम्पत्ति के व्याप्रि हो।

四

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2022

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है - **राजेश शर्मा** **भारतीय बैंक**
 2. चर्तमान धरित पद - **अधिकारी** **अंतर्राष्ट्रीय बैंक**
 3. चर्तमान बैतन - **33100.50.0**, आगली बैतनवृद्धि की तारीख, **01.05.2023**

जहाँ लागू न हो काट दीपण।
एसे यामले में जहाँ पूर्ण का सही-सही निधरण करना संभव न हो, वहाँ बहमान रिधि के सदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
*** इसमें अस्तकालीन पट्टे भी समिलित हैं।
टिप्पणी : मध्यप्रदेश राजसभीय सेवक (आचारण) नियम 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से महः अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीनों की अवधि के पूर्वापात्र यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अनिवार्यता उसके विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके पालिकार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारीत समस्त अचल सम्पत्ति के अवौद्धै दें।

ब्रह्माक्षर *Prahlad*
नाम शारदा दोषकालीन
पद अस्त्राधीन श्री-मित्र
विभाग नियंत्रण शास्त्र लेखन उपर्युक्त अध्येता सामग्री
मापदण्ड श्रावणी

पार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20 ।।-।।-2022 से 31-12-2022 तक

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

U.P.E.N.D.R.A . P.A.L.T.U.JAL.

2. चरित्र खाता

श्रद्धालुक

3. वर्तमान वेतन **285.50** आगली बेतनबृद्धि की तारीख **।।-।।-2023**

| उस जिले/उप-संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो | सम्पत्ति का नाम तथा व्यौरे | गृह तथा अन्य भवन | भूमि | *वर्तमान मूल्य | यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है | उसे किस प्रकार अद्वितीय किया गया था और उसका नाम भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अजीन की तारीख और जिससे अद्वितीय हो उसका नाम | सम्पत्ति से वार्षिक आय | अधिकृति |
|---|---|--|---|------------------------------|--|--|------------------------|---------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
| BHOPAL | M.I.G.-205, K-Gachha Ayodhya Nagar Bhopal | 33,00,000 पैसा नाम (माझमिलान क्लब सं.) | 33,00,000 पैसा रुपय नाम (Bank of India) | Bank loan (Bank of India) | Bank loan (Bank of India) | N.I.C. | | |

* जहां लागू न हो काट दीजए।
** ऐसे मानते में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सदृश में लागभा मूल्य बताया जाए।
*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी समिलित हैं।

टिप्पणी : नियमप्रदेश शासकीय सेवक (आचारण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम टिप्पणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपीक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीनों की अवधि के पश्चात् यह भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के व्यौरे दें।

शाकेमुझे—१२६—असत्सप्रति—२२-१०-०९—१५,०००।

विभाग

हस्ताक्षर *Jyoti*
नाम **उमेन्द्र पालीवाला**
पद **सहायक ड्रुप्प-ट्रॉफ**

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2022

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो

राजेन्द्र पाठी

2. वर्तमान धारित पद

व्यापार उत्तराखण्ड - 3

3. वर्तमान वेतन .. 21,300, आगली बेतनवृद्धि की तारीख

अगलालाल 2023

| उस जिले/उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो | सम्पत्ति का नाम तथा व्यौरे | | यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर भारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्षा संबंध है | यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर भारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्षा संबंध है | वर्तमान मूल्य | | उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बेखक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा | सम्पत्ति से वार्षिक आय | अभियुक्त |
|---|----------------------------|-----|--|--|---------------|-----|--|---------------------------|----------|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
| जहां लागू न हो काट दीजिए। एसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए। इसमें अत्यन्त कालीन पट्टे भी समीक्षित हैं। | | | | | | | | | |

टिप्पणी : नायप्रत्येक शासकीय सेवक (आदाचारण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी तथा दूसरी श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्यक्ष बाहर नहीं की अवधि के प्रश्नात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्थानिक को तथा उसके द्वारा अंगित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के व्यौरे दें।

शाकेन्द्रभो—926—अस्तमप्रबिं—22-10-09—15,000.

विभाग श्री॥ लुट्रिंग लेन्वेन साकेन्द्र॥
नाम
पद
विभाग श्री॥ लुट्रिंग लेन्वेन साकेन्द्र॥
मास्टर कोपला

卷之三

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2022

1. अंधकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो भैंसराम दुष्ट शंखाधीन 2. चर्तमान धारित पद
3. चर्तमान वेतन 19,500/- आली वेतनवहिद की तारीख 1-7-2023

जहाँ लाएँ न हो करत दीजेण् ।
एसे नमस्ते में जहाँ पूर्व का सही-सही निधरण करना संभव न हो, वहाँ बर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए ।
*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सामिलित हैं ।

शाकेमुभो—१२६—असाप्रति—२२-१०-०९—१५,०००.

۱۷۰

१९०९ ०१-०१-२०२२ तक ८०१, ३०१२-२०२२

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

१. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो— उम्मीद शर्मा

३. बर्तमान बैतन ३५, १५०/- २. बर्तमान धारित पद महान् भूमि

०/०७/२०२२

| उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम की नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो | सम्पत्ति का नाम तथा व्यौरे | गृह तथा अन्य भवन | भूमि | **बर्तमान मूल्य | यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है | उसे किस प्रकार अर्जित किया गया था खरीद, पट्टा, बंधक, विमासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तरीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा | सम्पत्ति से वार्षिक आय | अधियुक्त |
|--|----------------------------|------------------|------|-----------------|--|--|------------------------|----------|
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) | (८) | |
| | | | | | | | | |

जहा लागू न हो काट दीजिए।

एसे पालते में जहा मूल्य का सही-सही निधारण करना संभव न हो, वहां बर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

इसमें अत्यकालीन पद्दति भी समीक्षित है।

टिप्पणी : माध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आगरण) नियम, १९५९ के नियम १४(३) के अधीन प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपीक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्थानित जी तथा उसके द्वारा अर्जित अवधि तथा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पढ़े या बंधक पर उसके द्वारा भारित समस्त अचल सम्पत्ति के बारे दे।

शोकमुझो—१२६—असप्राप्ति—२२-१०-०९—१५,०००.

८८-८८१८८८

हस्ताक्षर
नाम ३५, १५०/-
पद २०१८-२०१९
विभाग शास्त्रीय सेवा के २०१८-२०१९

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो

अगली बैतमनवृद्धि की तारीख

3. बर्तमान बैतमा ३३२०७/- अगली बैतमनवृद्धि की तारीख ०१-०७-२०२३

2. बर्तमान धारित पद

बैतमनवृद्धि

| उस जिले/ज़िले संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पति स्थित हो | सम्पति का नाम तथा व्यौरे | गृह तथा अन्य भवन | भूमि | * बर्तमान मूल्य | यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बताइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है | उसे किस प्रकार अर्जित किया गया था भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अजैन की तारीख और जिसमें अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा | सम्पति से वार्षिक आय | अधियुक्त |
|---|--------------------------|------------------|------|-----------------|---|--|----------------------|----------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
| जहां लागू न हो काट दीजिए। एसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां बर्तमान स्थिति के सदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाए। इसमें अन्तकालीन पदटे भी सम्भिलित हैं। | | | | | | | | |

५९२०८

| हस्ताक्षर | नाम | पद | विभाग |
|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|
| <u>महामान वृद्धि</u> | <u>महामान वृद्धि</u> | <u>पद बैतमनवृद्धि</u> | <u>विभाग नियुक्ति वृद्धि</u> |

टिप्पणी : मध्यप्रदेश राजकीय सेवक (आचारण) नियम, १९५९ के नियम १८(३) के अधीन प्रथम नियम, द्वितीय श्रेणी तथा उसके प्रत्येक वार्ड प्रत्येक नारह महिने की अवधि के पश्चात यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अंजित अधिकार उसके विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पटें या बधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पति के व्यौरे है।

राकेशुभ्य—१२६—असासप्राचि—२२-१०-०९—१५,०००.

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, चर्चे 20 01-01-2022 से 31-12-2022

1. आधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो ... भृशान्त शाह



3. वर्तमान वेतन 19500 आली बैलनवृद्धि की तारीख 01-01-2023

2. वर्तमान धारित पद .. एकाधिकारी

| सम्पत्ति का नाम तथा औरे | उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो | ग्रह तथा अन्य भवन | भूमि | वर्तमान मूल्य | यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बताइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है | उसे किस प्रकार अर्जित किया गया भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अजित को तारीख और जिससे अजित की गई हो उसका नाम तथा व्यौग | सम्पत्ति से वांछिक आय | अभियुक्ति |
|-------------------------|--|-------------------|------|---------------|---|---|-----------------------|-----------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
| | | | | | | | | |

इस्तावकर

* जहां लागू न हो काट दीजिए।
** ऐसे यानत में जहां मूल्य का कराना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लाभान्वयन मूल्य बतालाया जाए।
*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्भालित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अर्थोद्धरण है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रदूषित करे और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा आजित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यारे दे।

शाकेन्द्रीय-767-अस्साप्रब्लि-18-1-13-20,000.

नाम : भृशान्त शाह
पद : एकाधिकारी

विधान २०२३ मुद्रा ५० तथा ०२५५
रामरेणु मूद्रा ५० ग्राम

फार्म

५१९२ - २०२२ मे रिसेवर - २०२२ नं

१. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

राजेश लिला शिखेपा

20

३. वर्तमान वेतन .. २२३७० .. आती वेतनवृद्धि की तारीख .. ०१.०१.२०२३ ..

उस जिले, उप संभाग, तालुका
तथा ग्राम का नाम, जिसमें
सम्पत्ति स्थित हो

| सम्पत्ति का नाम तथा व्याप्रे | गृह तथा अन्य भवन | भूमि | *वर्तमान मूल्य | यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बातालाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है | उसे किस प्रकार अर्जित किया गया प्रत्याखरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्याप्रे | सम्पत्ति से वार्षिक आम | अभियुक्त |
|------------------------------|------------------|------|----------------|--|--|---------------------------|----------|
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) | (८) |
| २१००० | ०८८ | — | ३० लाख | प्रति | ५५५५ लाख | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — |

जहाँ लागू न हो काट दीर्घिए।

... एसे गमते में जहाँ मूल्य का सही-सही निधारण करना सभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लागभाग मूल्य बतालाया जाए।

टिप्पणी : इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : अधिकारी/कर्मचारी शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम १८(३) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में हहलो नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रथम चार महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अधिकारी उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम रांकनुभा—१२६—असाप्राचि—२२—१०—०९—१५,०००.

हस्ताक्षर

राजेश लिला शिखेपा

नाम

पद

विभाग

मार्गदार

श्रीमान् शुभांगा लैंड शाह म०५५